

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that, in exercise of the powers conferred under Section 251 of the Cantonments Act, 2006, the draft “Dagshai Cantonment Building Bye-laws, 2026” [S.R.O. 29 (E)], dated 30th July 2026 has been published in the Gazette of India on 8th September 2026.

The said draft Bye-laws are available for public inspection at the office of the Cantonment Board, Dagshai, and may also be viewed/downloaded from the official website of the Cantonment Board at dagshai.cantt.gov.in.

Any person having any objection or suggestion regarding the proposed draft Bye-laws may submit the same in writing within 30 days from the date of publication of the Gazette of India containing the said draft Bye-laws. Objections/suggestions may be submitted in writing to the Cantonment Board, Dagshai, or may be sent by email to ceodags-stats@nic.in within the stipulated period.

Objections/suggestions received after the expiry of the 30-day period shall not be entertained.


CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CANTT. BOARD, DAGSHAI

Copy to :-

1. The Market Manager,
Indian Express Newspaper, Chandigarh
2. The Editor, Amar Ujala
The Mall Solan, H.P
3. Computer Programmer,
Cantt Board Dagshai
4. All Notice Boards
Cantonment Board Dagshai

To publish the above Public Notice
in next edition of the newspaper

: To upload on official website.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 251 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए प्रारूप "दगशाई छावनी भवन उप-विधियां, 2026" [एस.आर.ओ. 29(ई), दिनांक 30 जुलाई 2026] को भारत के राजपत्र में दिनांक 8 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया गया है।

उक्त प्रारूप उप-विधियां आम जनता के निरीक्षण हेतु छावनी बोर्ड, दगशाई के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इन्हें छावनी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dagshai.cantt.gov.in से भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावित प्रारूप उप-विधियों के संबंध में कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो, तो वह भारत के राजपत्र में उक्त प्रारूप उप-विधियों के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियां/सुझाव निर्धारित अवधि के भीतर छावनी बोर्ड, दगशाई के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं अथवा ई-मेल के माध्यम से ceodags-stats@nic.in पर भेजे जा सकते हैं।

30 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।


मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी बोर्ड, दगशाई

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. प्रबंधक, इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र, चंडीगढ़।
2. संपादक, अमर उजाला, द मॉल, सोलन, हि.प्र.
3. कंप्यूटर प्रोग्रामर, छावनी बोर्ड दगशाई
4. सभी सार्वजनिक सूचना पट्ट। छावनी बोर्ड दगशाई

उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु।

— वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।